359

आदेश

क्रमांक : प.3(55) नविवि / 3 /   दिनांक : 23.11.2002

इस विभाग के परिपत्र क्रमांक प.3 (196) नविआ / 83 दिनांक 17.8.95 के द्वारा राजस्थान नगरीय विकास ट्रस्ट (शहरी भूमि निस्तारण) नियम, 1974 के नियम 18 के तहत पब्लिक एवं चेरिटेबल संस्थाओं को रियायती दर पर भूमि आवंटन के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये थे। रियायती दर / निःशुल्क भूमि आंवटन नीति में पारदर्शिता लाने के लिए पूर्व में जारी परिपत्र दिनांक 17.8.95 की निरन्तरता में निम्न और दिशा निर्देश तुरन्त प्रभाव से जारी किये जाते है। भविष्य में जयपुर विकास प्राधिकरण व नगर विकास न्यास के द्वारा अपने स्तर पर निम्न उद्देश्यों के लिए 1000 वर्ग गज तक की भूमि का निःशुल्क आवंटन किया जा सकेगा

1. चिकित्सा संस्थाओं द्वारा नशा मुक्ति केन्द्र की स्थापना।
2. वृद्धाश्रम की स्थापना।
3. पेंशनरों के लिए विश्राम घर का निर्माण।
4. रेन–बसेरे का निर्माण।
5. निःशक्तजन, मूक एवं बधिरों के लिए प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना।
6. सार्वजनिक प्याऊ, शौचालय एवं मूत्रालय निर्माण व रखरखाव।
7. प्रेस–क्लब, सार्वजनिक पुस्तकालय / वाचनालय का निर्माण।

* * *

सम्पूर्ण लीज राशि जमा कराने पर ब्याज में 50% की छूट

क्रमांक:प.3(ग)()नियम/स्वा.शा.वि./2000/1747   जयपुर, 9.10.2002

राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार स्थानीय निकायों द्वारा दिनांक 2.10.2002 से 14.11.2002 तक आयोजित समस्या समाधान अभियान को मद्देनजर रखते हुए राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 1959 की धारा 297 एवं राजस्थान नगरपालिका (शहरी भूमि निष्पादन) नियम 1974 के नियम 32 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर निगमों/परिषदों/पालिकाओं के भूखण्डों के लीज होल्डर्स द्वारा बकाया लीज राशि (शहरी जमा बंदी) दिनांक 14.11.02 तक एकमुश्त जमा करवाने पर मूल राशि पर देय ब्याज की राशि पर 50 प्रतिशत छूट देय होगी।

यह आदेश जयपुर विकास प्राधिकरण/राजस्थान आवासन मंडल एवं समस्त नगर सुधार न्यास पर भी लागू होंगे।

इस सम्बन्ध में वित्त विभाग से सहमति उनके आई.डी. संख्या 809 दिनांक 4.10.2002 से प्राप्त कर ली गयी है।

आबादी भूमि पर कब्जों की नियमितिकरण की दर

क्रमांक:प.8(ग)()नियम/स्वा.शा.वि./20[illegible]/3171   जयपुर, 9.10.2002

राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में आवासीय समस्या के समुचित समाधान की दृष्टि से शहरी स्थानीय निकायों में निहित आबादी (नजूल) भूमि पर दिनांक 31.12.91 तक निर्माण कर किये गये अनाधिकृत कब्जों के नियमन हेतु राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 1959 की धारा 297 सपठित धारा 80 की शक्तियों का प्रयोग करते हुये एतद् द्वारा परिपत्र क्रमांक प.1(ग)()नियम/डी.एल.बी./2001/1 दिनांक 01.01.2002 के पैरा 2(प) एवं (पप) को विलोपित किया जाकर निम्नानुसार नवीन प्रावधान प्रतिस्थापित किया जाता है :

2(प) 1 जनवरी 1981 से पूर्व आबादी भूमि पर कब्जा प्रमाणित होने की स्थिति में 200 वर्ग गज तक का नियमन आवासीय आरक्षित दर की 25 प्रतिशत राशि वसूल करते हुए किया जावे।

2(पप) 1.1.1981 के पश्चात् तथा 31-12-91 से पूर्व आबादी भूमि पर कब्जा प्रमाणित होने की स्थिति में 200 वर्ग गज तक के कब्जों का नियमन आवासीय आरक्षित दर की 50 प्रतिशत राशि वसूल करते हुये किया जावें।

2 (पपप) 200 वर्ग गज से अधिक परन्तु 300 वर्ग गज तक की आबादी भूमि का नियमन आवासीय आरक्षित दर के अनुसार राशि वसूल करते हुए किया जावें।

(35 A)

(113)